13-5-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप।
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक
31.5.16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

13.5.16 पत्रावली शासन सचिव, जयपुर (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के [illegible]
प. [illegible] (3) राज-1/2016 दिनांक 12.04.2016 एवं जिला [illegible]
न[illegible] पत्र क्रमांक/कोर्ट/911-26 दिनांक 05.05.2016 के
अ[illegible]ण में तैयार [illegible] कार्यक्रम के अनुसार सम्मन/नोटिस जारी
होकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016/
कैम्प कोर्ट में दिनांक..31.5.16...को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

31.5.16 पत्रावली आज लोक अदालत में
पेश हुई। वकील प्रार्थी उप।
बहस सुनी गई। पत्रावली का
अवलोकन किया। बहस के दौरान [illegible]
किया वादी अपने वाद को [illegible]
[illegible] हासिल करने में
असफल रहा है। [illegible]
अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखवाया जाकर
शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

# न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प कोर्ट पालडीजोधा

## बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

A 2/4

राजस्व वाद संख्या :– 19/2011

1. जगदीश दत्तक पुत्र श्री झूमरराम जाति बावरी
   निवासी पालड़ी जोधा तहसील व जिला नागौर — वादी

बनाम

1. झूमरराम पुत्र श्री बक्तसाराम जाति बावरी
   निवासी ग्राम पालड़ी जोधा तहसील व जिला नागौर
2. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
3. उप पंजीयक, नागौर
4. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा कुचेरा
5. महेन्द्र गोद पुत्र झुमरराम निवासी पालडीजोधा — प्रतिवादीगण

उपस्थित –

1. श्री धन्नाराम चौधरी एडवोकेट
2. श्री घनश्याम मिश्र एडवोकेट — वादी
1. श्री रामकिशोर मुण्डेल — प्रतिवादीगण

वाद घोषणा हक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय — दिनांक :– 31.5.16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद घोषणा हक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि 88, 188 आरटीएक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

वादी प्रतिवादी संख्या 1 झूमरराम का दत्तक पुत्र है एंव वादी के शामिल ही रहता है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 झुमरराम की पुश्तैनी बढेर की भूमि ग्राम पालडी जोधा तहसील नागौर में हाल खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा स्थित है। यह भूमि पूर्व में वादी के परदादा श्री सुखदेव पुत्री मूला के नाम की खातेदारी की थी। वादी के दादा एंव प्रतिवादी संख्या 1 झुमरराम के पिता श्री बक्साराम का देहान्त सुखदेव के जीवनकाल में ही हो गया था। जिससे सुखदेव की खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 416 के उनके पोत्रगण चनणा, सांवता, झुमर पिसरान बक्सा एंव घासी पुत्र हरदेव के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी। वादी जायन्दा पुत्र श्री हरदेव का है। मुझ वादी के जायन्दा पिता श्री हरदेव का देहान्त मुझ वादी जब 10 माह का था उस वक्त हो गया था। मुझ वादी के पिता श्री हरदेव के देहान्त के पश्चात् मेरी माता ने हमारे जातीय रिवाज व प्रथा अनुसार प्रतिवादी झुमरराम की चुडिया पहिन ली थी अर्थात झुमरराम से नाता (पुर्नविवाह) कर लिया था एंव मुझ वादी से उस वक्त 10–11 माह का होने से वादी को भी अपने साथ झुमरराम के घर ले गयी थी। तब से आज तक मुझ वादी प्रतिवादी झुमरराम के साथ ही निवास करता चला आया है। वादी श्री झुमरराम के साथ ही परिवार में शामिल ही रहता चला आया है तथा श्री झुमरराम के कोई पुत्र या पुत्री



सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

नहीं होने से मुझ वादी के दत्तक पिता झुमरराम ने हमारी जातीय एंव सामाजिक रिति रिवाज अनुसार मुझ वादी को जुबानी गोद ले लिया व विधि अनुसार सम्पूर्ण गोद की रश्म गोद में बिठा कर, मोलिया बंधा कर सबके सामने अपना गोद पुत्र स्वीकार कर लिया, जिससे मुझ वादी प्रतिवादी झुमरराम का विधिवत रूप से गोद का पुत्र है। वादी प्रतिवादी झुमरराम का गोद पुत्र होने से अपने दत्तक पिता की सेवा चाकरी पुत्र की हैसियत से करता चला आया है व खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बोता, अंवेरता काश्त करता चला आया है तथा मुझ वादी अपने दत्तक पिता झुमरराम के हित में व सभी कार्य उनके पुत्र की हैसियत से शांतिपूर्वक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप मे करता चला आया है। इस प्रकार वादी को अपने दत्तक पिता झुमरराम की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति में वे सब हक व अधिकार प्राप्त हो गये है जो एक जायन्दा पुत्र को अपने पिता की पारिवारिक सम्पति में प्राप्त होते है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा मौजा पालडी जोधा मुझ वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी संख्या 1 झुमरराम की खातेदारी का है जो पूर्व में मुझ वादी के परदादा स्व. श्री सुखदेव की खातेदारी का था जिससे यह खेत पुश्तैनी भूमि है। अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 झुमरराम की नियत में फर्क आ गया है व श्री झुमरराम लोगो की सुखावट में आकर वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा को बेचान करने पर उतारू हो गया है।

इस्तदुआ वादी है कि–

(क) वादी जगदीश को ग्राम पालडी जोधा तहसील नागौर के खेत हाल खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 श्री झुमरराम के शामिल सह–काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) ग्राम पालडी जोधा तहसील नागौर के खेत हाल खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा का विक्रय, हस्तान्तरण, अन्तरण इत्यादि करने से प्रतिवादी संख्या 1 श्री झुमरराम को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें।

(ग) उपरोक्त अनुसार समस्त राजस्व एंव अधिकार अभिलेखो में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे व तहसीलदार नागौर व उप पंजीयक नागौर को विवादित खेत का पंजीयन व राजस्व रेकर्ड आदि में अमल दरामद नहीं हरने हेतु पाबंद किया जावें।

(घ) अन्य दादरसी जो भी लाभार्थ वादी हो वो दिलाई जावें।

वादी के वादपत्र का प्रतिवादी झुमरराम की ओर से निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

वाद का पैरा संख्या 1 जिस तरह से कथन किया है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी झुमरराम का खातेदारी का खेत हाल खसरा नम्बर 749 रकबा 14 बीघा सरहद मौजा पालडी जोधा का प्रतिवादी संख्या 1 के स्वअर्जित व अकेले के स्वामित्व का है। वाद पत्र का पैरा संख्या 2 असत्य व अस्वीकार है। प्रतिवादी झुमरराम ने वादी जगदीश को कभी गोद पुत्र स्वीकार नहीं किया न ही वादी कभी प्रतिवादी संख्या 1 के शामिल रह कर सेवा सुश्रुषा की थी व है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के

खेत खसरा नम्बर 749 मौजा पालडी जोधा को हडपने की गर्ज से झुठा दावा पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 व मेरी औरत घेवरी ने संवत् 2057 की आखातीज को महेन्द्र पुत्र रामनिवास चौकीदार निवासी पालडीजोधा को गोद उसके माता पिता जायन्दा रामनिवास पिता एंव माता परेस्तां की सहमति से गोद लिया एंव हिन्दू विधि के अनुसार समस्त रश्में पूरी की थी। वादी को कभी गोद नहीं लिया। इसलिए दावा खारिज योग्य है। वादी कॉपासनर नहीं रहा। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पास रह कर पुत्र धर्म का पालन कभी नहीं किया, वादी बदनियति से मेरे गोद पुत्र दर्शा कर झुठे दस्तावेज राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड या वोटर लिस्ट आदि में मुझ झुमरराम का नाम लिख दिया जो मेरे विरूद्ध साक्ष्य में कभी नहीं पढे जा सकते। मेरी सहमति के बिना वादी जगदीश ने बनावटी व मनगढत साक्ष्य तैयार करने की गर्ज से कभी अपने आप को गोद पुत्र झुमरराम लिखा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के गोद पुत्र महेन्द्र जायन्दा पुत्र रामनिवास है जिसकों संवत् 2057 की आखातीज को गोद पुत्र मुझ प्रतिवादी ने लिया एंव गोदनामा दिनांक 11.02.2011 को रजिस्टर्ड व पंजीयन करवाया जो सही व वैध है। वादी ने खेत खसरा नम्बर 749 में मेरे साथ कभी काश्त करसण नहीं किया, जिससे दावा खारिज योग्य है।

वाद पत्र का पैरा संख्या 4 असत्य व अस्वीकार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 झुमरराम के परिवार में बतौर पुत्र अथवा गोद पुत्र के साथ रह कर पुत्र धर्म कभी नहीं निभाया। पिछले करीब 9 वर्षो से लगातार महेन्द्र जायंदा पुत्र रामनिवास मेरे साथ निवास कर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 व मेरी औरत घेवरी की सेवा चाकरी, भरण पोषण आदि करता आया है जो ही मेरा गोद पुत्र है, इसलिए भी वाद में वादी ने बढा चढा कर निराधार तथ्य गलत रूप से दर्ज किये है जिससे दावा खारिज किये जाने योग्य है।

वादी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अनुतोष का पैरा संख्या क, ख, ग बनावटी होने से सम्पूर्ण दावा खारिज योग्य है। वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के गोद पुत्र होना कभी स्वीकार नहीं किया न ही वादी मुझ प्रतिवादी के शामिल खेत खसरा नम्बर 749 में काश्त की। इसलिए वादी का वाद सव्यय खारिज योग्य है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद निराधार होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी महेन्द्र ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि दावा हाजा में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित करने की आज्ञा प्रदान करावे। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी न तो झुमरराम का गोदपुत्र है और न ही रहता चला आया है। झुमरराम का गोद पुत्र एक मात्र वादी जगदीश ही है। प्रार्थी उक्त वाद में हितबद्ध पक्षकार के रूप में सामने आने के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार करते हुए प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में वाद में संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाबदेही बंद की गई। जिसके फलस्वरूप औपचारिक

तनकीयात कायम करने की कानूनी आवश्यकता नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई।

गवाह के रूप में वादी जगदीश दत्तक पुत्र झुमरराम ने शपथ पत्र पेश कर वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 प्रदर्श–1, नामान्तरण नकल ग्राम पालडी जोधा प्रदर्श–2, नामान्तरण नकल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत् 2032–35 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 प्रदर्श–5, जोबकार्ड प्रदर्श–6अ, जिसका मूल प्रदर्श–6, मतदाता सूची प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 22.09.2015, वाद संख्या 111/11 प्रदर्श–8, प्रमाणित प्रतिलिपि वाद पत्र संख्या 111/11 प्रदर्श–9, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श–10अ है जिसका मूल प्रदर्श–10 है, राशनकार्ड की फोटोप्रति 11अ है जिसकी मूल प्रदर्श–11 है। गवाह के रूप में मोहनराम पुत्र हजारीराम, रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम, बाबुराम पुत्र हजारीराम, घासीराम पुत्र हरदेवराम, हीराराम पुत्र जीवणराम, हडमान पुत्र रामदीन ने शपथ पत्र पेश किये।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ताओं ने वाद व जवाब में वर्णित कथनो को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी ने यह वाद प्रतिवादी संख्या 1 झुमर के दत्तक पुत्र होने के आधार पर ग्राम पालडी जोधा के खसरा नम्बर 749 की 14 बीघा भूमि में सहखातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि के विक्रय से रोकने हेतु निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 पेश की है। जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। नामान्तरण संख्या 416 की प्रति पेश की है जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 749 सुखदेव वल्द मुला बावरी की मृत्यु के पश्चात् झुमर के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इसी तरह नामान्तरण संख्या 1259 बंटवारा के नामान्तरण से खसरा नम्बर 749 की 14 बीघा भूमि झुमर के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबंदी संवत् 2032 में खसरा नम्बर 749 सुखदेव पुत्र मूला के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 749 की 14 बीघा भूमि पैतृक खातेदारी भूमि है। वादी ने नकल जोबकार्ड, नकल वोटरलिस्ट, विधानसभा निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 157 के पृष्ठ संख्या 57 के क्रम संख्या 1521 पर अपने पिता का नाम झुमरराम होने का साक्ष्य पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी को कभी गोद नहीं लिया गया था बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी औरत ने संवत् 2057 में महेन्द्र पुत्र रामनिवास चौकीदार को पालडीजोधा में गोद लिया था। जिसको दिनांक 11.02.2011 को गोदनामा भी रजिस्टर्ड करवाया है। रजिस्टर्ड गोदनामा की फोटोप्रति पेश की है। जिसमें पृष्ठ संख्या 2 पर उल्लेख किया है कि आज दिन से पूर्व किसी को गोद नहीं लिया गया है। महेन्द्र चौकीदार की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.11.2014 को स्वीकार कर महेन्द्र को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है परन्तु इसकी ओर से कोई जवाब व काउण्टर क्लेम पेश नहीं किया गया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में मोहनराम पुत्र हजारीराम, रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम, बाबुलाल पुत्र हजारीराम, घासीराम पुत्र हरदेवराम, हीराराम पुत्र जीवणराम के बयान पेश किये जिसमें वादी को अपनी माता फुलकी के पूर्व पति हरदेव का पुत्र बताया गया है। हजारीराम की मृत्यु के

बाद झुमरराम प्रतिवादी संख्या 1 से नाता करने के पश्चात् सामाजिक रीति रिवाज से जगदीश को गोद लिया जाना बताया है परन्तु उक्त गवाहान जिरह के लिए हाजिर नहीं हुए। वादी स्वंय ने अपने बयान में भी उक्त कथन किया है। इसके अतिरिक्त हडमान पुत्र रामदीन ने भी कथन किया है। वादी द्वारा महेन्द्र की ओर से झुमरराम के विरूद्ध पेश किये गये वाद को अदम हाजरी व नोटप्रेस में खारिज होने संबंधी न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), नागौर के मुकदमा नम्बर 111/11 महेन्द्र बनाम झुमर की ऑडरशीट की नकल व वादपत्र की नकल पेश की है। इसके अलावा आधार कार्ड व राशन कार्ड की नकल पेश की है। जिसमें वादी के पिता का नाम झुमरराम अंकित है। उक्त दस्तावेज जो कि वादी के आवेदन पर तैयार किये गये है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का गोद से इन्कार है तथा वादी के पास लिखित व पंजिकृत गोदनामा नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में लिखित व पंजिकृत गोदनामा है। वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों में जिरह भी नहीं हो पाई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने आप को झुमरराम का दत्तक पुत्र साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.5.16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर ए एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

# डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1 )**

A8

**अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैम्प कोर्ट पालडीजोधा**

**बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.**

1. जगदीश दत्तक पुत्र श्री झूमरराम जाति बावरी
   निवासी पालड़ी जोधा तहसील व जिला नागौर — वादी

बनाम

1. झूमरराम पुत्र श्री बक्तसाराम जाति बावरी
   निवासी ग्राम पालड़ी जोधा तहसील व जिला नागौर
2. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
3. उप पंजीयक, नागौर
4. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा कुचेरा
5. महेन्द्र गोद पुत्र झुमरराम निवासी पालडीजोधा — प्रतिवादीगण

वाद घोषणा हक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि 88, 188 आरटीएक्ट

**मुकदमा नं 19 सन् 2011**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदई ब ———— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी अपने आप को झुमरराम का दत्तक पुत्र साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.05.2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | — | — | स्टाम्प वकालात नामा | — | — |
| स्टाम्प वकालात नामा | — | — | स्टाम्प अर्जी | — | — |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | — | महनताना वकील पर | — | — |
| महनताना वकील | — | — | खर्चा गवाहान | — | — |
| खर्चा गवाहान | — | — | फीस कमिश्नर | — | — |
| फीस कमिश्नर | — | — | बबत् इजराय हुक्मनामा | — | — |
| बबत् इजराय हुक्मनामा | — | — | मुतफर्रिक | — | — |
| मुतफर्रिक | — | — | | | |
| मीजान | — | — | मीजान | — | — |

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर